भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3507
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण

3507. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गैर- सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है, यदि हां, तो मूल्यांकन पद्धति का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं और मिशनों के तहत सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है। यह किसी भी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को कोई निधि जारी नहीं करता है।

(घ) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ.) जी, हां।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस मिशन में कुपोषण को कम करने तथा समग्र स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें सामुदायिक जुड़ाव, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन पहल और पैरवी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें मातृ पोषण, शिशु तथा छोटे बच्चों के आहार मानदंडों और गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार पर बल दिया जाता है, साथ ही आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया जाता है।

संशोधित पोषण मानदंडों का पालन करते हुए लक्षित समूहों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों में आहार विविधता, कैलोरी, प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित सेवन सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और एनीमिया से निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, पके हुए गर्म भोजन और टेक होम राशन (टीएचआर) के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट आधारित भोजन को प्रोत्साहित किया जाता है। गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) और किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और मिलेट जैसे सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं।

मिशन वात्सल्य योजना को देखभाल और संरक्षण के मानकों के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में यथासंशोधित) बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित किया जा सके।

मिशन शक्ति –

(i) सरकार तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना क्रियान्वित कर रही है ताकि निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित विभिन्न एकीकृत सेवाएं भी प्रदान करता है।

(ii) महिला हेल्पलाइन महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि जैसे उपयुक्त प्राधिकरण से जोड़कर टेलीफोनिक शॉर्ट-कोड 181 के माध्यम से 24X7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह सभी महिलाओं को महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

(iii) दिनांक 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना मानसिकता बदलने वाला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बालिकाओं को महत्व देना और लैंगिक भेदभाव के आधार पर लिंग-चयन की प्रथाओं को रोकना है। बीबीबीपी मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय समाधानों के माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा की दिशा में कार्य करना और उन गतिविधियों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना है जिनका जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ता है जैसे कि बालिकाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता इत्यादि।

(iv) नारी अदालत पहल का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना तथा वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय, दबाव समूह रणनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करना है।

(v) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 01.01.2017 से ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) क्रियान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे एक महिला को औसतन 6,000 रुपये मिलते हैं। पात्र

लाभार्थियों को दूसरे बच्चे, के लिए भी पीएमएमवीवाई के तहत 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

(vi) सखी निवास योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर वाले शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, कामकाजी महिलाओं और रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सखी निवास में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान है।

(vii) 'शक्ति सदन योजना' दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

(viii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के तहत पालना उप-योजना शुरू की है। पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो इस योजना की दिन-प्रतिदिन की निगरानी और उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करती है।

आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित विश्व के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो अंतिम छोर तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है। *पालना* घटक का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास की निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना है।

*****

अनुलग्नक-I

श्री ईश्वरसामी के द्वारा 'महिलाओं एवं बच्चों का सशक्तिकरण' के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3507 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा

I. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन आंकड़ों के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय 2022-23**		
	कुल बच्चे (6 माह – 6 वर्ष)	**गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)**	**कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह से 6 वर्ष तक तथा पी एंड एल एम)**
आंध्र प्रदेश	2384664	297048	2681712
अरुणाचल प्रदेश	56638	2713	59351
असम	3030996	297251	3328247
बिहार	8995492	721488	9716980
छत्तीसगढ़	2160422	148187	2308609
गोवा	57216	9704	66920
गुजरात	3214441	518129	3732570
हरियाणा	1700043	255015	1955058
हिमाचल प्रदेश	399779	80803	480582
जम्मू एवं कश्मीर	682885	93009	775894
झारखंड	3112075	378618	3490693
कर्नाटक	3589406	426546	4015952
केरल	1997323	289502	2286825
मध्य प्रदेश	6349835	347195	6697030
महाराष्ट्र	6251221	820903	7072124
मणिपुर	265667	21829	287496
मेघालय	392822	25303	418125
मिजोरम	109020	13740	122760
नागालैंड	59997	422	60419
ओडिशा	3460488	460793	3921281
पंजाब	962315	80199	1042514

राजस्थान	3850005	674836	4524841
सिक्किम	30343	3563	33906
तमिलनाडु	3120329	614819	3735148
तेलंगाना	1790272	282617	2072889
त्रिपुरा	302599	34808	337407
उत्तर प्रदेश	17170999	3297461	20468460
उत्तराखंड	669156	92272	761428
पश्चिम बंगाल	7471646	1018589	8490235
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13303	1637	14940
चंडीगढ़	41503	6219	47722
दिल्ली	555049	102866	657915
दादरा और नगर हवेली	23886	7655	31541
दमन और दीव			
लद्दाख	16881	1680	18561
लक्षद्वीप	5299	675	5974
पुद्दुचेरी	33251	5455	38706
भारत	**84327266**	**11433549**	**95760815**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**गर्भवती महिलाएं**	**स्तनपान कराने वाली माताएं**	**बच्चे 0-6 माह**	**बच्चे 6 माह से 3 वर्ष**	**बच्चे 3 वर्ष 6 वर्ष**	**किशोरियां**	**कुल**
उत्तर प्रदेश	1552960	1149186	940783	9645670	8971034	229489	22489122
असम	96347	84952	91686	1180409	1631205	143902	3228501
राजस्थान	304090	233670	153139	1958741	1792326	43110	4485076
तमिलनाडु	300337	226961	204493	1744546	1575758	44271	4096366
जम्मू एवं कश्मीर	41839	37711	25876	322175	379224	19168	825993
हिमाचल प्रदेश	36391	36483	34533	221488	238069	16704	583668
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	713	659	605	6897	4338	0	13212
लक्षद्वीप	409	379	374	3005	1176	0	5343

मध्य प्रदेश	433866	347734	296238	2827477	3603588	154782	7663685
गुजरात	221092	191944	172256	1502239	1627256	68016	3782803
महाराष्ट्र	324046	292128	235782	2735413	3321840	114257	7023466
मणिपुर	8419	8453	8530	94381	160224	45188	325195
लद्दाख	939	813	631	7519	8691	0	18593
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	3960	3030	2790	14909	9529	0	34218
सिक्किम	1324	1508	1458	12355	16979	8471	42095
कर्नाटक	239232	157855	121434	1669230	1704705	1275	3893731
केरल	128885	104993	89247	804796	1099743	18628	2246292
तेलंगाना	157575	99319	83673	979403	853625	30883	2204478
अरुणाचल प्रदेश	1865	2609	2538	32703	43525	15344	98584
पश्चिम बंगाल	536788	433344	403910	3271842	4045672	0	8691556
मेघालय	6440	7971	7782	150426	228753	52502	453874
हरियाणा	111921	106073	64124	708516	950524	15900	1957058
त्रिपुरा	16276	13073	11533	126592	168677	34792	370943
नागालैंड	1651	2810	2757	40103	66298	25926	139545
चंडीगढ़	3189	3220	3211	16487	20423	0	46530
उत्तराखंड	51060	47604	34504	384171	249410	71691	838440
मिजोरम	5626	3631	3745	44558	61189	21708	140457
गोवा	3751	4732	4334	35012	18602	0	66431
पंजाब	85757	92924	86440	649223	627901	29344	1571589
दिल्ली	58065	60892	59227	349831	175615	0	703630
छत्तीसगढ़	151721	121445	103554	1044067	1178676	119990	2719453
आंध्र प्रदेश	251278	192822	158051	1324181	1166810	18671	3111813
बिहार	406972	323692	225964	3504063	5560315	216013	10237019
पुद्दुचेरी	3438	3327	2702	24310	3951	0	37728
ओडिशा	283576	224519	194701	1516121	1866441	276793	4362151
झारखंड	177539	123731	103253	1350318	1501244	290792	3546877
	6009337	4746197	3935858	40303177	44933336	2127610	102055515

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत राज्यवार लाभार्थी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**गर्भवती महिलाएं**	**स्तनपान कराने वाली माताएं**	**बच्चे 0-6 माह**	**बच्चे 6 माह से 3 वर्ष**	**बच्चे 3 वर्ष 6 वर्ष**	**किशोरियां**	**कुल**

जम्मू एवं कश्मीर	49065	44284	38298	339479	416092	25851	913069
मध्य प्रदेश	419802	375744	345414	2631293	3583766	136523	7492542
हिमाचल प्रदेश	31407	34351	34425	207015	239387	16179	562764
तमिलनाडु	288558	245948	239178	1674903	1768735	44341	4261663
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	695	645	614	6644	3839	0	12437
	365	350	360	2725	890	0	4690
लक्षद्वीप	13945	11937	11527	112525	166712	33072	349718
त्रिपुरा	733	1128	1290	35743	64063	23937	126894
नागालैंड	1983	2115	2443	31541	51065	15613	104760
अरुणाचल प्रदेश	113191	112195	93583	687805	949698	12716	1969188
हरियाणा	143216	119385	117398	909523	863495	22019	2175036
तेलंगाना	503299	473380	475343	3103608	4032925	0	8588555
पश्चिम बंगाल	5746	7246	8159	112833	217094	39875	390953
मेघालय	305956	317466	302763	2371079	3248759	105512	6651535
महाराष्ट्र	198295	200488	191424	1373272	1488658	62225	3514362
गुजरात	7861	8573	9223	93664	165062	42205	326588
मणिपुर	1026	912	805	7677	8713	0	19133
लद्दाख	112454	89240	86693	713605	1040109	17847	2059948
केरल	329486	253970	218317	1757711	1804940	74301	4438725
कर्नाटक	1251	1396	1441	11035	16967	7305	39395
सिक्किम	2698	2392	2325	15781	14163	0	37359
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	1258898	1095709	1029451	9017357	9520739	175366	22097520
उत्तर प्रदेश	119228	113068	121754	1028018	1604001	397052	3383121
असम	294775	268013	223427	1772868	1692870	40468	4292421
राजस्थान	160289	141044	133199	999069	1104531	105336	2643468
छत्तीसगढ़	208927	186268	173738	1314284	1147208	47723	3078148
आंध्र प्रदेश	52506	61039	60985	327810	149270	0	651610
दिल्ली	267185	221665	210010	1419642	1812135	250204	4180841
ओडिशा	158426	125708	113587	1210165	1492335	234642	3334863
झारखंड	529019	477117	339213	3830934	5360475	240386	10777144
बिहार	2798	3121	2757	22718	5006	0	36400
पुद्दुचेरी	5201	3810	3992	39549	61188	18253	131993

मिजोरम	74994	95235	95610	615848	740158	34055	1655900
पंजाब	3352	4175	4000	31814	14494	0	57835
गोवा	2943	3008	3013	15801	17452	0	42217
यूटी-चंडीगढ़	53533	57422	52562	358273	250480	71041	843311

II. मिशन वात्सल्य

(क) बाल देखभाल संस्थानों में सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	1504	1546	उपलब्ध नहीं है।*
2	अरुणाचल प्रदेश	206	206	
3	असम	1380	1241	
4	बिहार	2088	2227	
5	छत्तीसगढ	1974	1843	
6	गोवा	526	461	
7	गुजरात	1651	3195	
8	हरियाणा	1239	963	
9	हिमाचल प्रदेश	805	926	
10	जम्मू और कश्मीर	817	1104	
11	झारखंड	1219	1238	
12	कर्नाटक	3182	3110	
13	केरल	697	776	
14	मध्य प्रदेश	2292	2597	
15	महाराष्ट्र	3654	3495	
16	मणिपुर	2121	2295	
17	मेघालय	972	1031	
18	मिजोरम	914	1172	
19	नागालैंड	493	562	
20	ओडिशा	4153	4431	
21	पंजाब	607	533	
22	राजस्थान	2560	2733	
23	सिक्किम	526	468	
24	तमिलनाडु	7785	10118	
25	तेलंगाना	1129	2243	

26	त्रिपुरा	829	948	
27	उत्तर प्रदेश	3238	3226	
28	उत्तराखंड	700	589	
29	पश्चिम बंगाल	6220	4744	
30	अंडमान और निकोबार	308	274	
31	चंडीगढ़	202	222	
32	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	28	36	
33	लद्दाख	25	84	
34	लक्षद्वीप	0	0	
35	दिल्ली	1206	1216	
36	पुदुचेरी	690	739	
	कुल	**57940**	**62592**	

*लाभार्थियों की संख्या की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधि के आधार पर की जाती है

(ख) गैर-संस्थागत देखभाल में सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बच्चों की कुल संख्या**		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	9150	10000	14187
2	अरुणाचल प्रदेश	840	1719	1318
3	असम	858	1919	2400
4	बिहार	504	4001	6001
5	छत्तीसगढ़	288	1137	1550
6	गोवा	27	62	93
7	गुजरात	506	450	472
8	हरियाणा	5155	643	880
9	हिमाचल प्रदेश	1347	1352	2028
10	जम्मू एवं कश्मीर	1398	4024	5092
11	झारखंड	3086	4629	6793
12	कर्नाटक	3875	12449	18673
13	केरल	1133	1455	2182
14	मध्य प्रदेश	2377	13715	20572
15	महाराष्ट्र	9844	21680	32520

16	मणिपुर	1120	1288	1932
17	मेघालय	1028	1083	1285
18	मिजोरम	591	1516	2011
19	नागालैंड	752	779	789
20	ओडिशा	1772	3697	5545
21	पंजाब	612	4150	2483
22	राजस्थान	239	933	475
23	सिक्किम	323	460	427
24	तमिलनाडु	2975	5411	8116
25	तेलंगाना	6454	4858	7287
26	त्रिपुरा	305	1373	2059
27	उत्तर प्रदेश	1766	10000	15000
28	उत्तराखंड	847	1817	1631
29	पश्चिम बंगाल	1670	2750	4125
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0
31	चंडीगढ़	199	309	350
32	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	519	984	929
33	लद्दाख	29	411	482
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	दिल्ली	980	635	952
36	पुद्दुचेरी	106	171	256
कुल		**62675**	**121861**	**170895**

III. मिशन शक्ति

क. सम्बल

(i) वन स्टॉप सेंटर

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-2025 (31.01.2025 तक)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	106	133	129
2	आंध्र प्रदेश	4,356	2,993	2,544
3	अरुणाचल प्रदेश	370	293	387
4	असम	5,348	5,714	6,445
5	बिहार	6,556	7,376	7,304

6	चंडीगढ़	199	329	343
7	छत्तीसगढ़	6,052	5,889	5,320
8	दादरा और नगर हेवली तथा दमन व दीव	136	90	147
9	दिल्ली	4,387	6,945	8,917
10	गोवा	2,132	611	368
11	गुजरात	8,669	7,158	5,904
12	हरियाणा	8,253	7,932	10,924
13	हिमाचल प्रदेश	480	1,007	1,619
14	जम्मू एवं कश्मीर	2,482	2,374	3,031
15	झारखंड	830	1,683	1,233
16	कर्नाटक	6,551	6,997	7,075
17	केरल	4,357	4,137	3,299
18	लद्दाख	19	17	26
19	लक्षद्वीप*	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	19,909	19,868	20,552
21	महाराष्ट्र	6,814	9,894	6,112
22	मणिपुर	448	411	342
23	मेघालय	1,168	771	946
24	मिजोरम	217	366	1,024
25	नागालैंड	246	186	224
26	ओडिशा**	7,188	7,480	5,830
27	पुद्दुचेरी	62	36	47
28	पंजाब	3,403	3,315	4,298
29	राजस्थान	5,870	6,591	6,655
30	सिक्किम	323	367	432
31	तमिलनाडु	22,929	23,661	32,666
32	तेलंगाना	12,066	11,674	9,749
33	त्रिपुरा	109	414	258
34	उत्तर प्रदेश	22,155	33,774	31,773
35	उत्तराखंड	1,156	578	1,809
36	पश्चिम बंगाल	328	2,163	2,952
	कुल	**1,65,674**	**1,83,227**	**1,90,684**

*लक्षद्वीप ने अभी तक जानकारी नहीं दी है।

**ओडिशा ने दिसंबर महीने की जानकारी साझा नहीं की है

(ii) महिला हेल्पलाइन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25 (31.01.25 तक)	
		पंजीकृत/प्राप्त कॉल	सहायता-प्राप्त करने वाली महिलाएं	पंजीकृत/ प्राप्त कॉल	सहायता-प्राप्त करने वाली महिलाएं	पंजीकृत/प्राप्त कॉल	सहायता-प्राप्त करने वाली महिलाएं
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	483	35	360	25	1,325	35
2	आंध्र प्रदेश	1,44,790	1,852	1,17,656	1,585	2,87,304	1,001
3	अरुणाचल प्रदेश	540	425	1,067	233	1,,252	228
4	असम	70,855	5,711	60,826	8,674	48,005	10,957
5	बिहार	83,233	2,602	96,424	2,556	3,46,755	55,582
6	चंडीगढ़	12,237	12,237	15,374	1,699	12,811	6,533
7	छत्तीसगढ़	1,02,820	3,181	88,104	10,309	69,789	8,667
8	दादरा और नगर हवेली-दमन और दीव	42	42	691	180	2,482	738
9	दिल्ली	7,80,910	7,56,147	5,44,070	5,44,070	3,07,324	3,01,830
10	गोवा	11,147	9,149	3,180	374	951	951
11	गुजरात	1,60,891	1,60,891	2,24,924	1,83,795	1,67,604	1,67,604
12	हरियाणा	18,164	3,270	83,262	2,227	2,45,469	4,626
13	हिमाचल प्रदेश	32,957	32,957	21,900	1,198	16,675	1,362

14	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	2,576	2,504	31,479	1,061	42,472	1,345
15	झारखंड	27,834	18,894	42,950	20,917	68,304	22,778
16	कर्नाटक	48,316	6,118	5,636	604	1,62,693	1,337
17	केरल	93,622	7,541	1,00,179	18,061	1,28,754	8,638
18	लद्दाख			157	41	890	126
19	लक्षद्वीप*	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	43,896	20,022	23,280	17,385	1,12,758	78,664
21	महाराष्ट्र	3,785	3,785	1,42,280	4,682	35,13,137	1,46,719
22	मणिपुर	5,738	109	2,578	269	1,901	52
23	मेघालय	2,577	402	5,349	317	3,067	1,071
24	मिजोरम	3,094	3,094	5,568	3,050	11,839	4,090
25	नागालैंड	57	57	2,873	67	2,072	122
26	ओडिशा**	16,523	4,435	0	**9,207**	7,818	3,756
27	पुद्दुचेरी			2,052	33	3,839	617
28	पंजाब	42,893	42,349	40,027	39,771	48,821	44,577
29	राजस्थान	8,079	8,079	22,193	9,670	7,991	7,951
30	सिक्किम	5,881	62	5,055	140	6,687	88
31	तमिलनाडु	1,10,866	36,671	97,134	40,838	2,58,300	30,426
32	तेलंगाना	6,28,073	18,848	2,15,457	9,627	2,03,569	2,239
33	त्रिपुरा	42	41	5,196	110	12,401	270
34	उत्तर प्रदेश	72,118	72,118	61,360	61,360	73,613	73,613
35	उत्तराखंड	744	744	41,796	23,094	95,737	24,819
	कुल	**25,35,783**	**12,34,372**	**21,10,437**	**10,17,229**	**62,74,409**	**10,13,412**

*लक्षद्वीप ने अभी तक जानकारी नहीं दी है।

**ओडिशा ने दिसंबर महीने की जानकारी साझा नहीं की है

ख. सामर्थ्य

(i) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25*
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,291	851	898
2	आंध्र प्रदेश	3,92,312	1,45,809	2,29,679
3	अरुणाचल प्रदेश	4,533	1,379	2,796
4	असम	1,79,829	1,60,262	2,56,763
5	बिहार	7,31,838	98,971	6,74,838
6	चंडीगढ़	5,868	3,038	3,477
7	छत्तीसगढ़	1,60,786	82,586	2,55,674
8	दिल्ली	84,713	42,130	95,427
9	गोवा	6,648	1,379	4,453
10	गुजरात	2,54,947	1,58,121	2,05,489
11	हरियाणा	1,54,175	10,353	1,25,499
12	हिमाचल प्रदेश	44,220	8,439	46,900
13	जम्मू और कश्मीर	56,049	12,134	1,13,427
14	झारखंड	91,961	64,603	1,46,543
15	कर्नाटक	5,97,325	1,49,683	6,18,144
16	केरल	1,52,962	76,209	1,56,076
17	लद्दाख	699	1,365	1,832
18	लक्षद्वीप	70	531	937
19	मध्य प्रदेश	5,70,016	4,13,504	8,57,704
20	महाराष्ट्र	6,91,219	83,540	4,62,884
21	मणिपुर	6,494	7,685	17,340
22	मेघालय	10,330	3,816	14,146
23	मिजोरम	6,817	2,292	3,764
24	नागालैंड	5,532	2,473	8,011
25	ओडिशा	-	-	-
26	पुद्दुचेरी	6,368	243	8,854
27	पंजाब	1,41,304	76,262	1,40,170
28	राजस्थान	4,05,991	1,83,165	5,37,399
29	सिक्किम	2,845	815	3,052
30	तमिलनाडु	1,35,752	1,25,429	69,695
31	तेलंगाना	-	-	-
32	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	4,199	2,812	3,364
33	त्रिपुरा	21,027	7,690	23,449
34	उत्तर प्रदेश	14,24,694	2,73,575	2,86,492
35	उत्तराखंड	67,387	45,945	74,940
36	पश्चिम बंगाल	8,68,049	-	-
	कुल	**72,88,250**	**22,47,089**	**54,50,116**

** 17.03.2025 तक का डेटा*

नोट: 2023-24 से पहले पीएमएमवीवाई में पात्र लाभार्थियों को भुगतान पीएमएमवीवाई - सीएएस (पुराना सॉफ़्टवेयर) के माध्यम से किया जाता था और अब डेटा को पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस (नए सॉफ़्टवेयर) में माइग्रेट कर दिया गया है। 2023-24 से भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में वे लाभार्थी शामिल हैं जिन्होंने नए पोर्टल (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट) पर नामांकन किया है। यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

(ii) पालना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.01.2025 तक आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसी)			
		स्वीकृत क्रेच	कार्यशील क्रेच	लाभार्थी	स्वीकृत क्रेच लेकिन कार्यशील नहीं
1	आंध्र प्रदेश	108	-	-	108
2	अरुणाचल प्रदेश	86	-	-	86
3	असम	500	50	859	450
4	बिहार	85	65	309	20
5	छत्तीसगढ़	1,500	167	2092	1333
6	गोवा	9	9	9	0
7	गुजरात	25	-	-	25
8	हरियाणा	628	102	2,012	526
9	हिमाचल प्रदेश	152	-	-	152
10	झारखंड	1,024	-	-	1024
11	कर्नाटक	248	164	3608	84
12	केरल	504	-	-	504
13	मध्य प्रदेश	448	-	-	448
14	महाराष्ट्र	345	-	-	345
15	मणिपुर	702	-	-	702
16	मेघालय	84	76	1,083	8
17	मिजोरम	200	200	4,326	0
18	नागालैंड	470	150	3,253	320
19	ओडिशा	1,000	-	-	1000
20	पंजाब	148	-	-	148
21	राजस्थान*	-	-	-	0
22	सिक्किम	25	13	100	12
23	तमिलनाडु	600	-	-	600
24	तेलंगाना	1,033	8	78	1025
25	त्रिपुरा	114	94	1,747	20
26	उत्तर प्रदेश*	-	-	-	0
27	उत्तराखंड	202	32	296	170
28	पश्चिम बंगाल	10	-	-	10

29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	7	52	1
30	चंडीगढ़	210	200	2,621	10
31	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	95	25	614	70
32	दिल्ली	502	139	1303	363
33	जम्मू एवं कश्मीर	230	-	-	230
34	लद्दाख	6	6	87	0
35	लक्षद्वीप	8	-	-	8
36	पुद्दुचेरी	86	9	-	77
कुल		**11,395**	**1,516**	**24,449**	**9,879**

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**31.12.2024 तक स्टैंडअलोन क्रेच**	
		कार्यशील क्रेच	**लाभार्थी**
1	आंध्र प्रदेश	10	218
2	अरुणाचल प्रदेश	43	1,075
3	असम	-	-
4	बिहार	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-
6	गोवा	2	56
7	गुजरात	-	-
8	हरियाणा	197	4,343
9	हिमाचल प्रदेश	50	686
10	झारखंड	-	-
11	कर्नाटक	170	2470
12	केरल	264	3680
13	मध्य प्रदेश	3	46
14	महाराष्ट्र	-	-
15	मणिपुर	214	5,350
16	मेघालय	14	286
17	मिजोरम	-	-
18	नागालैंड	-	-
19	ओडिशा	-	-
20	पंजाब	144	1,429
21	राजस्थान	-	-
22	सिक्किम	12	96
23	तमिलनाडु	120	2,280
24	तेलंगाना	-	-
25	त्रिपुरा	20	500
26	उत्तर प्रदेश	-	-

27	उत्तराखंड	-	-
28	पश्चिम बंगाल	-	-
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
30	चंडीगढ़	-	-
31	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	-	-
32	दिल्ली	-	-
33	जम्मू एवं कश्मीर	-	-
34	लद्दाख	-	-
35	लक्षद्वीप	-	-
36	पुद्दुचेरी	47	260
कुल		**1,310**	**22,728**

(iii) सखी निवास योजना

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (31.12.2024 तक)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2923	4478	750
3	अरुणाचल प्रदेश	45	37	37
4	असम	279	273	306
5	बिहार	0	0	0
6	चंडीगढ़	337	309	337
7	छत्तीसगढ़	237	229	261
8	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	0	0	0
9	दिल्ली	1641	1750	1952
10	गोवा	0	0	0
11	गुजरात	1913	1889	1036
12	हरियाणा	310	285	294
13	हिमाचल प्रदेश	111	107	100
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	11
15	झारखंड	154	147	124
16	कर्नाटक	3200	3176	3199
17	केरल	13800	14039	12190
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	0	0

20	मध्य प्रदेश	108	106	105
21	महाराष्ट्र	9224	9573	7155
22	मणिपुर	341	464	661
23	मेघालय	111	163	112
24	मिजोरम	167	209	207
25	नागालैंड	255	306	272
26	ओडिशा	0	0	425
27	पुद्दुचेरी	714	685	324
28	पंजाब	0	0	0
29	राजस्थान	146	124	193
30	सिक्किम	0	0	8
31	तमिलनाडु	3598	4084	4471
32	तेलंगाना	6920	5368	2779
33	त्रिपुरा	0	0	0
34	उत्तराखंड	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	0	0	1291
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0
कुल		**46534**	**47801**	**38600**

(iv) शक्ति सदन

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (31.12.2024 तक)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2095	1868	2252
3	अरुणाचल प्रदेश	76	58	349
4	असम	1496	1534	2755
5	बिहार	0	0	0
6	चंडीगढ़	6	25	9
7	छत्तीसगढ़	234	202	222
8	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	0	0	0
9	दिल्ली	165	128	169

10	गोवा	10	27	9
11	गुजरात	444	359	0
12	हरियाणा	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	20	20	15
14	जम्मू एवं कश्मीर	44	44	43
15	झारखंड	712	512	0
16	कर्नाटक	1786	2515	1209
17	केरल	783	687	938
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	2240	2077	1824
21	महाराष्ट्र	1274	1513	1672
22	मणिपुर	1602	1571	2209
23	मेघालय	55	56	25
24	मिजोरम	432	388	363
25	नागालैंड	83	56	24
26	ओडिशा	5483	0	4348
27	पुदुचेरी	75	47	41
28	पंजाब	34	28	21
29	राजस्थान	526	499	431
30	सिक्किम	39	29	35
31	तमिलनाडु	1129	1281	1800
32	तेलंगाना	7743	6661	5559
33	त्रिपुरा	1021	1017	157
34	उत्तराखंड	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	365	364	0
36	पश्चिम बंगाल	2132	1187	1197
कुल		**32113**	**24753**	**27676**

*****